# उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वाराणसी

सम्बद्ध : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

## दिनांक 02.09.2015 के परीक्षा समिति की बैठक के अनुसार स्नातकोत्तर सेमेस्टर संशोधित परीक्षा नियमावली

01. समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर में विभक्त किये जायेंगे। प्रत्येक सेमेस्टर की अवधि छः माह रखते हुए, चारों सेमेस्टर की अवधि दो वर्ष की होगी।

02. प्रत्येक स्थिति में परीक्षार्थी को समस्त सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों एवं प्रायौगिक/मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

03. किसी भी सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों एवं प्रायौगिक/मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत नहीं किया जायेगा।

04. प्रत्येक सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम निम्नलिखित उपनियमों के अधीन उत्तीर्ण, प्रोन्नत एवं अनुत्तीर्ण में से कोई एक हो सकता है :–

(क) प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत, प्रायौगिक/मौखिक में 36 प्रतिशत अंक,सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों का योग 36 प्रतिशत एवं सकल योग में 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर सम्बन्धित सेमेस्टर में परीक्षार्थी उत्तीर्ण होगा।

(ख) प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में सम्मिलित परीक्षार्थी स्वतः प्रोन्नत होकर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में चले जायेंगे।

(ग) प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के प्रोन्नत परीक्षार्थी जो कि सम्बन्धित विषय के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के आधे से अधिक प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हों तथा सकल योग 36 प्रतिशत हो उन्हें बैक पेपर परीक्षा देने का अवसर दिया जायेगा। यह परीक्षा जुलाई माह में सम्पन्न कराई जायेगी। परीक्षार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के सभी अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों की परीक्षा एक साथ देनी होगी तथा सभी प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करने के पश्चात ही तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। बैक परीक्षा के बाद अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीयों को पुनः अगले वर्ष प्रथम सेमेस्टर में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप मे आवेदन कर परीक्षा देंगे।

(घ) तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर के प्रोन्नत परीक्षार्थी जो कि सम्बन्धित विषय के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के आधे से अधिक प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हों तथा सकल योग 36 प्रतिशत हो उन्हें बैक पेपर परीक्षा देने का अवसर दिया जायेगा। यह परीक्षा जुलाई माह में सम्पन्न कराई जायेगी। परीक्षार्थियों को तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के सभी अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों की परीक्षा एक साथ देनी होगी । बैक परीक्षा के बाद अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीयों को पुनः अगले वर्ष तृतीय सेमेस्टर में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप मे आवेदन कर परीक्षा देंगे।

(ङ) चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल श्रेणी के साथ उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। चारों सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों के सम्पूर्ण प्राप्तांक न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के पश्चात द्वितीय श्रेणी एवं न्यूनतम 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रथम श्रेणी प्राप्त होगी।

05. स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा अधिकतम 04 वर्षों में उत्तीर्ण कर लेना अनिवार्य है।

06. श्रेणी सुधार की सुविधा प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम अंक प्राप्त मात्र एक ही प्रश्नपत्र में देय होगी, यह परीक्षा भी जुलाई माह में बैक पेपर परीक्षा के साथ सम्पन्न होगी।

08. प्रायौगिक/मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीं पुनः अगले वर्ष प्रथम /तृतीय सेमेस्टर में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप मे आवेदन कर परीक्षा देंगे।

09. प्रायौगिक/मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों को भी जुलाई माह में आवेदन करने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

10. श्रेणी सुधार के लिए अनुग्रहांक की सुविधा चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करते समय देय होगी और इस हेतु अधिकतम 02 अंक अनुग्रहांक देय होगा।

**प्राचार्य/परीक्षा नियंत्रक**